न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 19/2019/अपील/आर्म्स एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 18.11.2019
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

कर्मवीर सिंह आत्मज हरदान सिंह जाति यादव निवासी 4 एफ–20 तलवंडी कोटा जिला कोटा (राज0) ।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुरेश श्रृंगी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 6.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक/न्याय/2018/2308 दिनांक 23.5.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा उत्तराधिकार की अवधारण के तहत पिता हरदान सिंह के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 3394 मे दर्ज 315 बोर राईफल शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर कमी पूर्ति हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस/पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा नोटिस समयावधि 10 दिवस मे दस्तावेज पेश नही किये जाने से प्रार्थी/अपीलार्थी का आवेदन पत्र आदेश क्रमांक/न्याय/2018/2303 दिनांक 23.5.2018 से निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय का पत्र/नोटिस 1225 दिनांक 7.4.2018 को प्राप्त होने पर दिनांक 8.4.2018 को सार्वजनिक अवकाश होने से दिनांक 9.4.2018 को पत्रानुसार वांछित दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर दिये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं की गलती को अनदेखा कर जेरअपील आदेश पारित किया है जो कानूनी दृष्टिकोण से उचित नही ठहराया जा सकता। अतः जेरअपील उक्त आदेश निरस्त क अपीलांट के आवेदन पत्र सं0 60/16 बावत जारी करने शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकार करने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एंव कानून मे संचित तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी द्वारा उत्तराधिकार की अवधारण के तहत पिता हरदान सिंह के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 3394 मे दर्ज 315 बोर राईफल शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया था जिसे जेरअपील आदेश से निरस्त करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस 1225 दिनांक 7.4.2018 को प्राप्त होने पर दिनांक 8.4.2018 को सार्वजनिक अवकाश होने से दिनांक 9.4.2018 को पत्रानुसार वांछित दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर दिये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं की गलती को अनदेखा कर जेरअपील आदेश

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग कोटा

पारित किया है जो कानूनी दृष्टिकोण से उचित नही ठहराया जा सकता। अतः जेरअपील उक्त आदेश निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के सबंध मे वांछित दस्तावेज पेश कर कमी पूर्ति हेतु 10 दिवस का समय दिया गया था किन्तु समयावधि मे वांछित दस्तावेज पेश नही किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश से आवेदन पत्र निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र आवेदन पत्र को नोटिस मे निर्धारित समय अवधि 10 दिवस मे वांछित दस्तावेज पेश नही करने से जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2018/2308 दिनांक 23.5.2018 से खारिज कर अपीलार्थी को सूचित किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि नोटिस क्रमांक 1225 दिनांक 7.4.2018 को प्राप्त होने पर दिनांक 8.4.2018 को सार्वजनिक अवकाश होने से दिनांक 9.4.2018 को पत्रानुसार वांछित दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर दिये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं की गलती को अनदेखा कर जेरअपील आदेश पारित किया है जो कानूनी दृष्टिकोण से उचित नही ठहराया जा सकता। अपीलांट के तर्क के संबध मे जेरअपील आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत पिता हरदान सिंह के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 3394 मे दर्ज 315 बोर राईफल शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा कमी पूर्ति कर नोटिस के आलोक मे प्रस्तुत वांछित दस्तावेजात का अवलोकन नही किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आदेश को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2018/2308 दिनांक 23.5.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत निहित प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र आवेदन पत्र एवं कमी पूर्ति मे प्रस्तुत वांछित दस्तावेजात का समुचित विचारण करें तथा यह भी विवेचित करे कि क्या प्रार्थी/अपीलार्थी को सद्भावी रूप से शस्त्र की आवश्यकता है। अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये समस्त तथ्यों पर विचार कर पुनः स्पीकिंग आदेश पारित करें।

7 निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा, कोटा